

राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, राजस्थान जयपुर

क्रमांक:-कुष्ठ/कोर्ट केस/संस्था/2018/

दिनांक:-

आदेश

एस.बी. सिविल याचिका सं. 12889/2016 श्री बाबूलाल त्रिपाठी (प्रकरण का नाम श्री रहीमाराम व अन्य बनाम राज्य सरकार व अन्य) स्वास्थ्य कार्यकर्ता पुरुष (जो एनएमए के पद से सेवानिवृत्त हुए हैं) बनाम राज्य सरकार व अन्य माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर के निर्णय दिनांक 07.11.2016 के पालना में निदेशालय के द्वारा जारी आदेश क्रमांक संस्थापन/कुष्ठ/कोर्ट केस/2018/190 दिनांक 20.02.2018 के द्वारा याचिकाकर्ता श्री बाबूलाल त्रिपाठी, स्वास्थ्य कार्यकर्ता पुरुष को नियमित नियुक्ति तिथि से गणना कर 18 एवं 27 वर्षीय सेवा पूर्ण करने पर क्रमशः 1200-2050/4000-6000 एवं 1640-2900/5500-9000 की संशोधित चयनित वेतन श्रृंखला एवं दिनांक 01.01.2006 से नियमानुसार देय एसीपी एतद् द्वारा वित्त विभाग की सहमति के अध्याधीन स्वीकृत की गई थी को राज्य सरकार/वित्त विभाग की आई.डी. सं. 101801333 दिनांक 27.03.2018 एवं चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-3) विभाग की आई.डी. सं. 513 दिनांक 28.03.2018 द्वारा अनुमोदित किया गया है।

(राकेश शर्मा)

अति० निदेशक (प्रशा०)

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ,

राजस्थान जयपुर।

क्रमांक:-कुष्ठ/कोर्ट केस/संस्था/2018/197

दिनांक:-6/4/2018

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. अति० मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राज० जयपुर।
2. उप शासन सचिव वित्त (नियम) विभाग राज० जयपुर को उनकी आई.डी. सं. 101801333 दिनांक 27.03.2018 के क्रम में।
3. संयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-3) विभाग, राज० जयपुर को उनकी आई.डी. सं. 513 दिनांक 28.03.2018 के क्रम में।
4. वित्तीय सलाहकार, मुख्यालय को वित्त विभाग के आदेश अनुसार प्रकरण में चयनित वेतनमान स्वीकृति में अवधि वेतन स्थिरीकरण व राशि की गणना वित्त विभाग के नियमों/प्रावधानों के अनुसार की गई है, सुनिश्चित करे।
5. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, जोन-जोधपुर।
6. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर को प्रेषित कर निर्देश है कि आपके अधीनस्थ कार्यरत कर्मचारी के प्रकरण में शीघ्र कार्यवाही कर पालना रिपोर्ट निदेशालय प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करे।
7. संबंधित खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जोधपुर।
8. संबंधित याचिकाकर्ता को द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
9. प्रभारी सर्वर रूम, कमरा न. 302, मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करे।
10. आदेश पत्रावली।

अति० निदेशक (प्रशा०)

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ,

राजस्थान जयपुर।